MR. CHAIRMAN: All right, you may raise the matter; we would examine it. Mr. Vora, please.

सिंचाई-सुविधा का प्रावधान

*383. **श्री मोती लाल वोरा**:††
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी कृषि-योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और सिंचित भूमि में हुई राज्य-वार वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भूमिगत जल-स्तर लगातार गिरता जा रहा है जिसके कारण अनेक स्थानों पर कृषि भूमि की सिंचाई में कठिनाई आ रही है; और

(घ) क्या देश में खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार और अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश की चरम सिंचाई क्षमता लगभग 139.9 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) आंकी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक लगभग 105.8 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सिंचाई के अधीन कुल क्षेत्र वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है। कृषि मंत्रालय के भूमि उपयोग गणना के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र तथा निवल सिंचित क्षेत्र क्रमशः 85.8 मिलियन हेक्टेयर और 60.9 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई विकास की स्कीमों की संकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत अनुदान प्रदान करते हुए विशेष श्रेणी राज्यों, जनजातीय और सूखा प्रवण क्षेत्रों में निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शीघ्र पूरा करके एवं सतही लघु सिंचाई स्कीमें प्रारंभ करके अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है। सृजित सुविधाओं के कुशल उपयोग के लिए "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार" (आरआरआरडब्ल्यूबी) और "कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन" (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) संबंधी स्कीमों के तहत राज्यों को केन्द्रीय अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 2005-09 के दौरान कुल 6.71 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 2005-09 के दौरान सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता विवरण-I में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

भूजल संसाधनों के अतिदोहन के कारण कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट के उदाहरण सामने आए हैं जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई सहित जल के विभिन्न उपयोगों पर प्रभाव पड़ा है। लगभग 15% ब्लाकों/तालुकों/मंडलों की पहचान अतिदोहि ब्लाक के रूप में की गई है जहां पर भूजल निकासी इसके प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक है। भूजल के उपयुक्त विनियमन एवं प्रबंधन तथा भूजल के पुनर्भरण की स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से भूजल का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय शुरू कर दिए गए हैं।

†† सभा में यह प्रश्न श्री मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया।

केन्द्र सरकार ने भूजल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया है। अब तक ग्यारह राज्यों ने भूजल विनियमन के लिए कानून अधिनियमित किए हैं। 7 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम का अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को 100% केन्द्रीय अनुदान और अन्य किसानों को 50% केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान सिंचाई विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। 95,743 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय की तुलना में ग्यारहवीं योजना के दौरान जल संसाधनों के लिए समग्र परिव्यय बढ़ाकर 2,32,311 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्यारहवीं योजना के लिए एआईबीपी और आरआरआरडब्ल्यूबी एवं सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम के लिए परिव्यय क्रमशः 39,850 करोड़ रुपये, 2,750 करोड़ रुपये और 1,600 करोड़ रुपये है।

विवरण

2005-09 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता की राज्यवार स्थिति
(राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	799.262
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.051
3.	असम	57.777
4.	बिहार	526.751
5.	छत्तीसगढ़	167.446
6.	गोवा	12.581
7.	गुजरात	505.456
8.	हरियाणा	64.411
9.	हिमाचल प्रदेश	19.555
10.	जम्मू और कश्मीर	60.357
11.	झारखंड	83.899
12.	कर्नाटक	311.390
13.	केरल	34.514
14.	मध्य प्रदेश	311.100
15.	महाराष्ट्र	637.200
16.	मणिपुर	12.000
17.	मेघालय	10.269
18.	मिजोरम	7.294

1	2	3
19.	नागालैंड	12.715
20.	उड़ीसा	237.575
21.	पंजाब	137.498
22.	राजस्थान	424.640
23.	सिक्किम	3.891
24.	तमिलनाडु	225.124
25.	त्रिपुरा	11.749
26.	उत्तर प्रदेश	1888.216
27.	उत्तरांचल	100.736
28.	पश्चिम बंगाल	28.971
	कुल:	6711.428

Provision of irrigation facility

†*383. SHRI MOTILAL VORA:
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the total area of cultivable land in the country for which irrigation facility is available;

(b) the efforts made to provide irrigation facility to farmers, especially small and marginal farmers, and the State-wise details of increase in irrigated land during the last five years;

(c) whether it is a fact that ground water level is constantly declining due to which difficulty is being faced in irrigation of agricultural land at several places; and

(d) whether Government would take steps to provide irrigation facility on more land at the earliest in view of increasing demand of foodgrain in the country?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The ultimate irrigation potential for the country has been assessed to be about 139.9 million hectare (Mha). As per the available information, about 105.8 Mha of irrigation potential has been created as on date. Total area under irrigation varies from year to year. As per the Land Use Statistics of Ministry of Agriculture, gross irrigated area and net irrigated area during 2006-07 have been estimated to be 85.8 Mha and 60.9 Mha respectively.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Motilal Vora.

Water being a State subject, schemes for irrigation development are conceived, planned and implemented by the respective State Governments as per their own priorities. Government of India encourages the State Governments to create additional irrigation potential through early completion of the ongoing major and medium irrigation projects and taking up surface minor irrigation schemes in special category States, tribal and drought prone areas by providing grants under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP). Central grant is also provided to States under the schemes for "Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies" (RRRWB) and "Command Area Development and Water Management" (CAD&WM) for efficient utilization of created facilities.

As per the available information, total irrigation potential created during 2005-09 is 6.71 Mha. State-wise irrigation potential created during the year 2005-09 is annexed as Statement-I (*See* below).

There are instances of decline in groundwater table in some areas due to over-exploitation of the groundwater resources impacting the various uses of water including irrigation. About 15% of the Blocks/Talukas/Mandals have been identified as over-exploited blocks where the ground water extraction is more than the natural replenishment of the same. Necessary measures have been initiated for ensuring sustainability of the groundwater through appropriate regulation and management of groundwater and implementation of schemes for groundwater recharge. Central Government has circulated to all States and Union Territories a model Bill for regulation and control of ground water development. Eleven States have since enacted legislation for regulation of ground water. A scheme for "Artificial Recharge of Ground Water through Dugwells" has been approved for implementation in 7 States namely, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu, Gujarat and Madhya Pradesh. The scheme provides for 100% central grant to small and marginal farmers and 50% central grant for other farmers.

Due emphasis has been laid on irrigation development during Eleventh Plan. The overall outlay for water resources during Eleventh Plan has been enhanced to Rs. 2,32,311 crore against the Tenth Plan outlay of Rs. 95,743 crore. The outlay for AIBP and schemes of RRRWB and CAD&WM for the Eleventh plan are Rs. 39,850 crore, Rs. 2,750 crore and Rs. 1,600 crore respectively.

Statement-I

Statewise status of irrigation potential created during 2005-09

(As reported by State Governments)

(in thousand hectare)

Sl.No.	Name of State	Total
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	799.262

1	2	3
2.	Arunachal Pradesh	19.051
3.	Assam	57.777
4.	Bihar	526.751
5.	Chhattisgarh	167.446
6.	Goa	12.581
7.	Gujarat	505.456
8.	Haryana	64.411
9.	Himachal Pradesh	19.555
10.	Jammu and Kashmir	60.357
11.	Jharkhand	83.899
12.	Karnataka	311.390
13.	Kerala	34.514
14.	Madhya Pradesh	311.100
15.	Maharashtra	637.200
16.	Manipur	12.000
17.	Meghalaya	10.269
18.	Mizoram	7.294
19.	Nagaland	12.715
20.	Orissa	237.575
21.	Punjab	137.498
22.	Rajasthan	424.640
23.	Sikkim	3.891
24.	Tamil Nadu	225.124
25.	Tripura	11.749
26.	Uttar Pradesh	1888.216
27.	Uttaranchal	100.736
28.	West Bengal	28.971
	TOTAL:	6711.428

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, हर युग में पानी की आवश्यकता महसूस की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं, कवि रहीम ने कहा था,

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरैं, मोती, मानुस, चून॥

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। देश की जो सिंचाई क्षमता आपने आंकी है, वह 139.9 मिलियन हेक्टेयर है लेकिन आज की तारीख तक जो सिंचाई क्षमता हमने सृजित की है, वह है 105.8 मिलियन हेक्टेयर है। सभापति महोदय, कुल मिलाकर हालत यह है कि आज भी देश में हमें 34.1 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि 2005-09 के दौरान हमने कुल मिलाकर 6.71 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की है, उसके बाद भी 27.30 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की जो हमारी आवश्यकता है, उसे हम कितने वर्षों में पूरा करेंगे? भारत सरकार की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो धनराशि राज्य सरकारों को दी गई है, उस धनराशि के तहत हम यह क्षमता कितने वर्षों में निर्मित कर सकेंगे?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जवाब के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पूरे मसले को सरकार बहुत गंभीरता के साथ लेती है, लेकिन इस समस्या की जरूरतें और उसका आकार बहुत बड़ा है। हमें आशा है कि इलैवंथ प्लान के इन पांच वर्षों में तकरीबन 8 या 9 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और सृजित की जा सकेगी। इसके लिए जो-जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके संबंध में इस समय तो मैं यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि तेरहवें प्लान के आखिर तक हमारी सम्पूर्ण सिंचाई क्षमता सृजित हो जानी चाहिए। उसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो कदम उठाए गए हैं, चूंकि वैसे यह विषय राज्य सरकारों का होता है एवं अलग-अलग स्कीम्स के तहत बहुत सी चीज़ों के लिए हमें उनकी जरूरत मालूम करनी होती है। इसमें 139.9 मिलियन हेक्टेयर जो कहा गया है, वह हमारी इस समय की जरूरत के बारे में कहा गया है। तेरहवें प्लान के दौरान हमें 7 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, क्योंकि पर हेक्टेयर 2 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है। इस कारण इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इस तरह पूरी क्षमता हासिल करने के लिए तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं प्रसन्नता के साथ आपको यह बताना चाहता हूं, चूंकि इस बात पर बहुत बल दिया गया है, इसके लिए जो आउटलेज़ की गई हैं, पिछले वर्षों के मुकाबले हमेशा हम बहुत ज्यादा करते रहे हैं। अपने प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कहा है कि इस वर्ष के बजट में भी इसके लिए बहुत बढोतरी की गई है। इस प्लान में जो वॉटर बॉडीज़ हैं, उनके लिए पैसा बढ़ा कर हमने 39,850 करोड़ रुपये कर दिया है। उन स्कीम्स तक पहुंच कर भी इसे और आगे बढ़ाने का प्रावधान है। इलैवंथ प्लान के तहत इसके लिए ओवरऑल जो आउटले है, उसमें 2,32,311 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि टेंथ प्लान के लिए यह सिर्फ 95,743 करोड़ रुपये था। इससे मालूम होता है कि इस विषय को हमारे द्वारा कितनी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और ऐलोकेशन में भी कितनी बढ़ोतरी की गई है।

श्री सभापति: थैंक यू, दूसरा सवाल।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि हमने इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी है। महोदय, केन्द्र सरकार के अंतर्गत जो वृहद सिंचाई योजनाएँ और मध्यम सिंचाई योजनाएँ हैं, जिनके लिए धनराशि देते हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जानकारी रखते हैं कि उन योजनाओं में जो धनराशि दी गई है, क्या राज्य सरकारों ने उसका समुचित उपयोग किया, ताकि सिंचाई की क्षमता अधिक से अधिक निर्मित हो सके?

महोदय, इसी के साथ दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के माध्यम से बड़े-बड़े डैम बनाये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप अनुभवी हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि उसमें silting बहुत होती है, तो क्या वृहद सिंचाई योजना या मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत silting के लिए कोई योजना बनाएंगे ताकि सिंचाई की क्षमता अधिक से अधिक निर्मित हो सके?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, Accelerated Irrigation Benefit Scheme, यानी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जो वृहद व मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, उनके लिए विशेष कैटगरी के जो प्रांत हैं, उनमें और साथ ही नॉर्थ-ईस्ट के जो hilly states हैं, उनके लिए 90 फीसदी तक केन्द्र से grant दिया जाता है। उसके अलावा, जो non-special categories के states हैं, वहाँ जो drought prone areas and tribal areas हैं, उनको भी 90 परसेंट और उड़ीसा के जो तीन पुराने जिले के.बी.के. हैं, उन सभी को 90 परसेंट ग्रांट दिया जाता है।

अब इन्होंने एक बहुत अहम प्रश्न का यहाँ जिक्र किया है, जिसका जवाब एकदम नहीं दिया जा सकता कि क्या हम उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि यह सभी प्रांतों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो पैसा यहाँ से मिलता है, उसका इस्तेमाल हो, तभी उसके बाद उस पर आगे काम हो सकता है। हमारे इल्म में ऐसी कुछ जगह आयी हैं, जिनका जिक्र मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। यहाँ जितना पैसा पहुँचा है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया और जितनी हमारी क्षमता है, जो हम बना पाये हैं, उसका इस्तेमाल इस कारण नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके लिए आगे जो Canals या distributaries वगैरह बनानी होती हैं, वे नहीं बनतीं, इस कारण काफी हद तक हमारा पैसा ज़ाया हो जाता है। लेकिन, इस वक्त जो स्टोरेज कैपिसिटी हमने हासिल कर ली है, वह 225 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। जो under construction हैं, वे 64 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं और जो consideration के तहत हैं, वे 108 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं। इससे हमें आशा है कि स्टोरेज कैपिसिटी और बढ़ेगी। लेकिन, यह प्रांतों पर ज्यादा मुनहसिर करता है कि जो पैसा यहाँ से पहुँचे और non-special categories states की जो बात मैं कह रहा था, उनको भी 25 परसेंट ग्रांट दिया जाता है। ऐसा 2006 से ही शुरू हुआ था। स्कीम 1996 से शुरू हुई थी, लेकिन इतनी तादाद पर ग्रांट दे देना ...**(व्यवधान)**... इसमें लघु सिंचाई स्कीमों के लिए भी 90 फीसदी तक ग्रांट दिया जाता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, समस्या दरअसल यह है कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी योजनाओं पर निर्माण कार्य आरंभ किये गए हैं और वे निर्माण कार्य जितनी अवधि के अंदर पूरे हो जाने चाहिए थे, उतनी अवधि के अंदर वे निर्माण कार्य पूरे नहीं हो सके। वर्षों तक वे योजनाएँ लंबित पड़ी रहीं और उनके लागत मूल्य में निरंतर वृद्धि होती चली गई। सर, मैं एक उदाहरण अपने जिले का दे रहा हूँ, फिर सवाल पूछता हूँ। बरियारपुर की एक नदी पर सिंचाई योजना बनाने की मंजूरी 1980 में मिली। वह योजना मात्र 18 करोड़ 40 लाख की थी, जिसे 1985-86 में पूर्ण होना था। आज 25 साल बाद भी वह योजना अपूर्ण है और उस पर 250 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। हालत यह है कि इन योजनाओं की लागत निरंतर बढ़ रही है। उनका निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है और वहाँ के किसानों को irrigation की जो facility मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि समस्याएँ मूलभूत यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी संबंध हैं, इन योजनाओं के निर्माण को समय-अवधि के अंदर पूर्ण करने के लिए जब तक कोई mechanism नहीं बनेगा, तब तक ये योजनाएँ समय पर पूर्ण नहीं होंगी। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या वह राज्य सरकारों के साथ बैठ कर इस मसले पर ऐसा कोई तंत्र विकसित करेंगे, जो यह सुनिश्चित कर सके कि जिस अवधि के अंदर अमुक योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होना है, उस अवधि के अंदर उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा सके?

अपवादस्वरूप कोई एकआध योजना रह सकती है, लेकिन सामान्यत: ये योजनाएं समयावधि के अंदर पूरी हों, इसके लिए क्या राज्य सरकारों के साथ बैठकर कोई योजना या तंत्र विकसित करने की बात मंत्री जी सोच रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी Accelerated Irrigation Benefit Programme की शुरुआत करने का मकसद यही था कि जो बहुत-बहुत समय से स्कीम्स लम्बित पड़ी हुई थीं, लटकी हुई थीं, पूरी नहीं हो रही थीं और प्रान्तों की तरफ से शायद कहा जा रहा था कि पैसे की किल्लत के कारण उनको वे नहीं कर पाए, इसी कारण यह स्कीम शुरू की गई थी। आगे बढ़कर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 2006 से तो इसी बात के कारण उसमें grants component बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। इसमें अब एक-दो बातें हैं। Accelerated Irrigation Benefit Scheme के तहत जो उसकी conditionality होती है, एक प्रोग्राम के बाद ही दूसरा प्रोग्राम लिया जा सकता है, तभी दूसरा प्रोग्राम वहां ले सकते हैं। अब हमारे मन में यही आशा है कि वे उसको जल्दी से पूरा करेंगे, ताकि वे दूसरे का फायदा केन्द्र सरकार के पैसे के ज़रिए ले पाएं। इसी के हिसाब से जो स्कीम के तहत आता है, conditionalities हैं, उसमें प्रावधान है, दिशा-निर्देश हैं कि उनको जल्दी पूरा किया जाए और समय-समय पर इस बात के लिए आपस में बैठक होती रहती है।

SHRIMATI BRINDA KARAT: Mr. Chairman, Sir, my question relates to the part (c) of the original question which is related to the constant decline in ground water level. The Minister has said that they have a model bill for regulation and control of ground water development, and eleven States have enacted a legislation for this. My question relates to the reality that in spite of these legislations, companies like Coka Cola and other corporate companies are exploiting ground water level which is directly resulting in the deprivation of farmers in that area and lack of water for irrigation. I have personal knowledge of such plants in Vaitarna river water area in Maharashtra and Sivaganga in Tamil Nadu. Since it is clear that this legislation has utterly failed to ensure some amount of accountability on these corporate houses, will the Government of India take the initiative to ensure in discussion with the States that this over-exploitation of water by these corporate houses can be curbed? Some accountability must be imposed on them and in the absence of their agreeing to it, licences for their plants should be scrapped.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: This is a matter which is entirely a State subject as the hon. Member herself would know. All that the Government of India can do and has done is that it has framed a model law and circulated to all the States. Good many States have reported that they implemented the law on those lines. Only six States have said that they do not need a law. I understand that various local bodies like municipalities, etc., are also now amending their bye-laws to provide for certain stipulation to see that there is adequate recharge of water so that over-exploitation, to a large extent, is mitigated. But I would only say once again with utmost humility that it is for the State Governments to frame law in that regard. The Government of India is not really in this position. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please let him complete the answer. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: But the Central Ground Water Authority has declared that 49 blocks have been declared over-exploited. We have entire information about that blocks-wise. There is a regular monitoring that is carried out by the Government agencies here, and from time to time, advisories are issued as to how water can be used judiciously, and that being a natural but very scarce resource, how best we can utilise it. Only that is the role that this Government can exercise. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: The specific experience ...*(Interruptions)*... Is it fair? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has explained the legal position...*(Interruptions)*... आप लोग बैठ जाइए, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... आप interrupt मत कीजिए ...**(व्यवधान)**...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: The specific question cannot be addressed ...*(Interruptions)*... The specific question about the action that ought to be taken against some companies that she is mentioning, does not lie within the jurisdiction of the Government of India. I will only urge the hon. Member to take it up with the concerned States to take appropriate action.

श्री मंगल किसन: सभापति जी, मैं आपके जरिए मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस स्टेट में इरिगेशन में नेशनल एवरेज से 50 प्रतिशत की कमी है, उसको पूरा करने के लिए इसे सेंट्रल प्रोजेक्ट के रूप में adopt करके, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा धन देने की व्यवस्था करेगी? मेरे सवाल का दूसरा भाग यह है कि जो स्टेट flood affected है, हर साल वह flood से affect होती है, flood control के लिए स्टेट के पास इतनी धनराशि का जुगाड़ नहीं है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नेशनल प्रोजेक्ट मानकर वहां flood control करने के लए कोई व्यवस्था करेगी?

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए गाइडलाइंस हैं, दिशा-निर्देश हैं और उनके लिए Accelerated Irrigation Benefit Scheme के तहत पहले उनको उन शर्तों को पूरा करना चाहिए और जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि अभी तक हमारे देश में 14 प्रतिशत प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट माने जा चुके हैं और उनके लिए 90 फीसदी पैसा केन्द्र सरकार ने देना है और सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा वहां की प्रांतीय सरकारों ने लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि इतने पैसे का प्रावधान जो इन स्कीमों के लिए किया गया है, वह काफी वाजिब है और बाकी शर्तों को पूरा करना और उसके लिए जो भी clearances की बात है, वह प्रांतीय सरकारों को पूरा करना होता है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the possibility of linking of rivers across the country is envisaged as the only permanent solution for all the existing problems arising out of water required for irrigation seems to be remote. Would the Government come forward to extend Central grant to the States like that of RRWB renovation and restoration of water bodies schemes to the States which are involved in intra-linking of the rivers which are flowing within the respective States like Tamil Nadu?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Under the Scheme for inter-linking of rivers, we have two components, both for the inter-State rivers as also for the Intra-State rivers. There is a provision. The initiative lies with the State Governments. The State Governments have to send proposals. These proposals are considered and thereafter, action is taken. Though this question does not

arise out of the main question, I would like to give this information to the hon. Member that the State of Maharashtra has given proposals. The State of Gujarat has given one. Orissa has given three. Jharkhand has given two-three proposals. Bihar has given six which are under very active consideration and three of them have been completed. Others are under progress. But, in other cases, Sir, DPR, etc., have not been prepared and the matter is under progress. As and when we receive any proposal from the State Government, provided it fulfils all those guidelines and conditions, action is taken by the Government in that regard.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 384.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, Question No. 384 ...(Interruptions).

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, there should be Half-an-Hour discussion on this.

श्री गंगा चरण: सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please, give notice for it*...(Interruptions)...*

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, the Government of Assam has declared drought-affected*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: This cannot be construed as notice. So, there is no point raising slogans*...(Interruptions)...* Question No. 384*...(Interruptions)...* Silence please*... (Interruptions)...*

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, Half-an-Hour discussion should be *...(Interruptions)...*

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... आप interrupt मत कीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: सभापति जी, बिहार में नेपाल से जो बाढ़ आती है, क्या भारत सरकार, नेपाल सरकार से बात करके वहां बांध बनाने ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... देखिए, आप interrupt मत कीजिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण: सर, इस पर half-an-hour discussion होना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: सर, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं ...**(व्यवधान)**... आधा मिनट ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: देखिए, आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: सर, आधा मिनट ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, मेंबर्स को मालूम है कि सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का क्या तरीका है। जिसने सवाल पूछा है, उसको सप्लीमेंटरी सवाल पूछने का हक है। उसके बाद जो 3 सप्लीमेंटरी सवाल पूछने की हमारी परंपरा है, वह by courtesy है, पूरे हाउस में जितने मेंबर्स हैं, उनमें से ही Chair को सेलेक्ट करना होता है, तो किसी का हक नहीं है।

श्री साबिर अली: आपके सामने जो बैठे हैं, उन्हीं को आप सलेक्ट करते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप गलत कह रहे हैं, कृपया आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... Please resume your place. *...(Interruptions)...*

श्री साबिर अली : महोदय, बिहार में बाढ़ की समस्या है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Please resume your place. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री साबिर अली: महोदय, आप हमारी बात को भी सुनिए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I am requesting you to please resume your place.

SHRI SABIR ALI: Sir, the question is that... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री साबिर अली: *

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. I am asking you to sit down. ...*(Interruptions)*... देखिए, अगर आप लोग हाउस में indiscipline लाएंगे, तो कोई काम नहीं होगा ...**(व्यवधान)**... कृपया Question Hour चलने दीजिए ...**(व्यवधान)**...

G-8 meeting

*384. SHRI V. HANUMANTHA RAO:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Prime Minister attended the G-8 meeting and called for a global team work on economic slow down;

(b) if so, whether the G-8 focused on economic crisis and climate change;

(c) whether India stressed importance of maintaining adequacy of finances with developing countries and also of keeping markets open by resisting protectionist pressure, having pointed out that developing countries were worst affected by rise of food prices;

(d) if so, the other main points discussed and the outcome of the meeting; and

(e) whether anything concrete came out with regard to climatic change?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir. G8-Outreach Session focused on the ongoing global economic and financial crisis. A Session of G8, G5 and Egypt, on 9 July morning, discussed global issues and development policy. A separate session, in the afternoon of 9 July, of Major Economies Forum bringing together G8, G5 as well as Australia, Indonesia, Republic of Korea and Denmark as the host of the next UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Conference in December this year, focused on climate change and energy.

(c) and (d) Yes Sir. At the Summit there was a widely shared view that tendencies towards protectionism should be resisted. In order to make recovery sustainable, Prime Minister also said that it is very important that the poor and the young should be empowered. He also said that

*Not recorded.